



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174009

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7835

सन् 2026

हिम्मत सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	:	संजीव कुमार खरे
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, शल्विन

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री शल्विन को सुना गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 212 सन् 2025, में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2), 117(2), 352, 351(2), 191(2), 191(3), 109(1) एवं 3(5), थाना - श्रीनगर, जनपद महोबा, के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। इस घटना में, आवेदक के पक्ष पर हमला हुआ था और घटना में आवेदक के एक बेटे की मौत हो गई थी। घटना वाले दिन यानी 21.06.2025 को ही एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 6.11.2025 को बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक लगभग 56 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। यह प्रकरण केवल आवेदक और अन्य गवाहों पर समझौता करने और अभियोजन पक्षकार के प्रकरण का समर्थन न करने के लिए दबाव डालने की कोशिश है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घायल नरेंद्र सिंह के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसमें पैरिएटल हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। नरेंद्र सिंह को लगी चोट जानलेवा थी। घटना में सूचनाकर्ता और अन्य लोगों को लगी चोटों के बारे में क्रॉस एफआईआर में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि चिकित्सीय परीक्षण में कोई देरी नहीं हुई थी। घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन चिकित्सीय परीक्षण के लिए पेश किया। चोटें घटना के एक दिन के भीतर की पाई गई हैं, जो घटना के समय से मेल खाती हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. इस घटना के बारे में अलग-अलग पक्षकार सामने आए हैं। आवेदक की तरफ से दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट समय के हिसाब से पहले की है। आवेदक के एक बेटे की मृत्यु हो चुकी है। कहा जाता है कि इस न्यायालय ने आवेदक के दूसरे बेटों को नियमित जमानत दे दी है। हालांकि परस्पर विरोधी प्रकरण हैं और न्यायालय की शुरुआती राय में, परस्पर विरोधी प्रकरण यह दिखाते हैं कि दोनों पक्षकारों के बीच घटना हुई थी, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक और उसके परिवार के अन्य सदस्य जिसमें उसका मृत बेटा भी शामिल है, को इस प्रकरण में फँसाया गया है, उन्हें बेवजह या झूठे तौर पर फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।



7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, प्रथम दृष्टया अग्रिम जमानत देने का प्रकरण बनता है।

8. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक **हिम्मत सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

- i. जब भी जरूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

18 अगस्त, 2026

कुशल